Criminal Misc. Cases 579/2025

IN THE COURT OF

Addl. District Judge Court No. 2

AT, Unnao

(Presided Over by Ankita Shukla)

UPUN010084102025

Criminal Misc. Cases 579/2025

माया.................................बनाम..............................अम्बुज सिंह आदि।

<u>दिनांक- 02.06.2026</u>

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. मे कथन किया गया है कि प्रार्थिनी माया पत्नी रामसजीवन निवासी ग्राम खरझारा पोस्ट महेश खेडा थाना बारा सगवर जिला उन्नाव की निवासिनी है। दिनॉक 10/08/2025 को समय 10 बजे सुबह पशुपती के खेत के पास चुडेल्लहा कुआँ पर बकरी चरा रही थी तभी गाँव के अम्बुज सिंह चौहान पुत्र धनपाल सिंह एवं राम सुमेर पुत्र राम किशुन निवासीगण ग्राम खरझारा पोस्ट महेश खेडा थाना बारासगवर जिला उन्नाव आ गये। अम्बुज सिंह चौहान कहने लगे कि साली चमारिन तेरा आदमी नही है आज तुझे मजा देते है यह कहते हुए अब्बुज ने राम सुमेर से कहा कि चमारिन का हाथ पकडकर मुँह बन्द करो तभी राम सुमेर ने प्रार्थिनी को पकडकर जमीन पर गिरा दिया और अम्बुज सिंह ने मेरे साथ पहले बलात्कार किया फिर अम्बुज सिंह मेरे हाथ मुँह पकडे और राम सुमेर ने भी मेरे साथ बलात्कार किया उसके बाद दोनो लोगो ने यह कहा कि किसी से न बताना नही तो तुमको जान से मार देगें। डर व भयवश शोर नही मचाया जब दोनो लोग चले गये तब घर जाकर अपने पति को फोन पर सारी बात बताई और उसी दिन दिनाँक 10/08/2025 को प्रार्थिनी ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नही हुयी तब प्रार्थिनी पुनः दिनॉक 18/08/2025 को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अभी तक रिपोर्ट नही दर्ज की गयी तब प्रार्थिनी रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के समक्ष दिनॉक 29.08.2025 व 12.09.2025 को प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नही की गयी तब प्रार्थिनी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं अन्य उच्च अधिकारियो को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनाँक 23/09/2025 व 26/11/2025 को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अभी तक प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज नही की गयी तब प्रार्थिनी श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र दे रही है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना किये जाने का आदेश थाना बारासगवर पुलिस को देने की कृपा करे।

आवेदिका के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किये गये है।

संबंधित थाना बारासगवर से आख्या तलब की गयी। थाना की प्राप्त आख्या के अनुसार प्रा० पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा-156(3) दं.प्र.सं. के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivistava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जाचं हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाये क्योंकि अधिकाश मामले वैवाहिक, परिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टयाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र मे दिये गये तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था **जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022,** wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139** the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Of course, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक 10.08.2025 को समय लगभग 10 बजे प्रार्थिनी ने उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आवेदिका को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे अभियुक्तगण

के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नही है। अतः आवेदिका प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रकिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 05.08.2026 को पेश हो।

दि. 02.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2